

निविदा दस्तावेज

सिपेट:सी.एस.टी.एस., हाजीपुर  
में  
वार्षिक अनुबंध के आधार पर  
“किराए पर वाहन सेवा हेतु”



निविदा सं०: CIPET/HJP/TENDER/VEHICLE SERVICES/2023-24/01

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 25.04.2023

केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

(रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार)

सिपेट : सी. एस. टी. एस., हाजीपुर, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर, वैशाली, बिहार-844102

दूरभाष :06224-275316/277424

ईमेल :hajipur@cipet.gov.in

वेब: cipet.gov.in



केन्द्रीय पेट्रोसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)  
(रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार)

सिपेट : सी. एस. टी. एस., हाजीपुर, वैशाली, बिहार-844102

दूरभाष: 06224-275316/277424

ईमेल: [hajipur@cipet.gov.in](mailto:hajipur@cipet.gov.in)

वेब: [www.cipet.gov.in](http://www.cipet.gov.in)

निविदा सूचना

सिपेट सी. एस. टी. एस., हाजीपुर निविदा पोर्टल ([www.cipet.gov.in](http://www.cipet.gov.in)) पर एकल चरण दो बोली (Bid) प्रणाली के तहत निविदा आमंत्रित करता है। सिपेट सी. एस. टी. एस., हाजीपुर, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर, वैशाली, बिहार -844002 प्रतिष्ठित ट्रेवल एजेंसी जिनके पास वाहन के सभी कागजात साथ ही वैध चैन, आईटी रिटर्न और जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र हो उनसे "किराए पर वाहन सेवा हेतु" निविदा आमंत्रित करता है।

बोली (Bid) दो भागों में अर्थात तकनीकी बोली (Technical bid) और वाणिज्यिक बोली (Financial bid) होगी।

क्र. सं.	विवरण	अग्रधन जमा राशि(EMD) रुपये में (वापसी योग्य)	निविदा शुल्क रुपये में (गैर-वापसी योग्य)
01.	सिपेट: सी. एस. टी. एस. , हाजीपुर में किराए पर वाहन सेवा हेतु	20,000.00	590.00 रुपये (जी.एस.टी. सहित)

ईशुक एवं पात्र बोलीकर्ता (Bidder) निविदा दस्तावेज, तकनीकी विवरण तथा अन्य नियम व शर्तों की विशेष जानकारी एवं डाउनलोड करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.cipet.gov.in](http://www.cipet.gov.in) पर जाकर निविदा पेज देख सकते हैं।

बोलीदाताओं (Bidder) से अनुरोध है कि वे विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित बोली की हार्ड कॉपी सिपेट हाजीपुर, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर, वैशाली, बिहार -844002 को जमा करें। बोली (Bid) जमा करने की अंतिम तिथि नीचे दी गई है :

निविदा दस्तावेज जारी करने की तिथि : 10.04.2023 Time ----- 15:00 Hrs

निविदा दस्तावेज जारी करने की अंतिम तिथि : 25.04.2023 Time -----15:00 Hrs

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 25.04.2023 Time -----17:00 Hrs

निविदा खोलने की तिथि : 26.04.2023 Time -----11.30 Hrs

निविदा शुल्क एवं अग्रधन जमा राशि (EMD) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जोकि किसी अनुसूची बैंक (Scheduled Bank) से जारी किये गये हो उसे "सिपेट हाजीपुर"के पक्ष में एवं "हाजीपुर"को अलग लिफाफे में रखकर तथा इसे तकनीकी बोली (Technical bid) के साथ सिपेट .एस .टी .एस .सी : हाजीपुर, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर, वैशाली, बिहार - 844002 में दिनांक :25.04.2023 को 17.00 बजे या उससे पहले जमा किया जाएगा।

अधोहस्ताक्षरी किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अस्वीकृति के कारण पार्टियों/बोलीदाताओं को हुए नुकसान/क्षति के लिए किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक एवं प्रमुख

सिपेट .एस .टी .एस .सी ; हाजीपुर

## वाहन सेवाएं प्राप्त करने के लिए निविदा दस्तावेज

निदेशक एवं प्रमुख, सिपेट : सी. एस. टी. एस. -हाजीपुर अपनी विभिन्न परियोजना और कार्यालय गतिविधियों के लिए मासिक/ दैनिक किराये के आधार तथा पूर्णकालिक आधार पर (चौबीसों घंटे हेतु) या आवश्यकता के आधार पर किराए पर लेने के लिए प्रतिष्ठित और पंजीकृत बैंडर से दो (02) बोली प्रणाली (Bid System) में निविदा आमंत्रित करता है।

### बोलीदाताओं (Bidder) के लिए आवश्यक अनुसूची/अनुदेश

#### 1. बिड तैयार करने और जमा करने का तरीका:

निविदाकर्ता/बोलीदाताओं को दो बोली प्रणाली (Two Bid System) अर्थात् तकनीकी बोली (Technical Bid) और वित्तीय बोली (Financial Bid) में निविदा/बोली (Bid) प्रस्तुत करनी होगी।

- i. **लिफाफे -1 (तकनीकी बोली)** को "सिपेट : सी. एस. टी. एस. -हाजीपुर में वाहन सेवाएं प्रदान करने के लिए दिये गए दस्तावेज को "तकनीकी बोली" के रूप में जाना जाता है। तकनीकी बोली में अनुलग्नक-1 में उल्लिखित विवरण के अनुसार स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेजों की प्रति के साथ एजेंसी की मुहर के साथ निविदा दस्तावेजों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति और अग्रधन जमा राशिराशिराशि और निविदा दस्तावेज शुल्क के लिए डीडी शामिल होनी चाहिए।
- ii. **लिफाफे-2 (वित्तीय बोली)** में एजेंसी की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित "अनुबंध II " के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर ही वित्तीय बोली उद्धृत होनी चाहिए। इस लिफाफे पर "सिपेट : सी. एस. टी. एस. -हाजीपुर में वाहन सेवाएं प्रदान करने के लिए मूल्य/वित्तीय बोली" अंकित किया जाएगा । जिसके उपर निविदा विज्ञापन सूचना संख्या भी लिखा होना चाहिए।
- iii. बोलीदाताओं (Bidder) को पंजीकरण, ईमेल, दूरभाष संख्या, फर्म एवं उसके संचालक का नाम एवं पता दर्शाते हुए "अनुलग्नक - II " के अनुसार अपनी मूल्य/वित्तीय बोली की प्रस्तुत करनी होगी।
- iv. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली का सीलबंद लिफाफा एक अन्य लिफाफे में रखा जाएगा, जिसे सील कर दिया जाएगा और लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन सूचना संख्या के साथ "निदेशक एवं प्रमुख सिपेट: सी.एस.टी.एस हाजीपुर, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, वैशाली (बिहार) - 844102" को संबोधित लिफाफे के शीर्ष पर मोटे अक्षरों में विज्ञापन नोटिस नंबर लिखा जाएगा। और इसे सिपेट .एस .टी .एस .सी :, हाजीपुर, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर, वैशाली, बिहार - 844002 में दिनांक: 25.04.2023, 17.00 बजे या उससे पहले पहुंचाना / जमा करना होगा।
- v. प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय अर्थात् दिनांक: 25.04.2023, 17.00 के बाद प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। सिपेट : सी. एस. टी. एस. -हाजीपुर निविदा दस्तावेजों के डाक या अन्य देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- vi. निविदा दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि उसने इस नोटिस और अन्य सभी अनुबंध शर्तों को पढ़ा है और खुद काम के दायरे और विनिर्देशों से अवगत हुआ है। निविदा के निबंधन एवं शर्तों पर हस्ताक्षर न करने से उसकी बोली/निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
- vii. निविदा दस्तावेज शुल्क (सिपेट वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज के लिए) एवं अग्रधन जमा राशि के लिए डीडी प्राप्त नहीं होने पर तकनीकी बोली में ही निविदा से असफल कर दी जाएगी।
- viii. एक बार जमा की गई बोलियों (Bid) को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोली (Bid) की स्वीकृति के बाद किसी भी तरह की गलती जोकि अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे परिस्थित में संस्थान जमा ई.एम.डी. को जब्त करने एवं अनुबंध को रद्द कर सकता है ।

- ix. नियत तिथि के साथ प्राप्त तकनीकी बोली 26.04.2023 को सिपेट : सी. एस. टी. एस. -हाजीपुर में विधिवत गठित समिति द्वारा उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी, जो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों (प्राधिकरण पत्र के साथ विधिवत समर्थित) के माध्यम से उपस्थित होना चाहते हैं।
- x. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की ही केवल वित्तीय बोली खोली जाएगी। बोलीलगाने वाले को इसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा।
- xi. प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से लिखा या टाइप किया जाना चाहिए, तथा कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मामूली कटिंग/ओवर राइटिंग हो तो प्रारंभिक हस्ताक्षर एवं एजेंसी की मुहर लगाया जाना चाहिए।

## 2. अग्रधन जमा राशि (E. M. D.):

- i. रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) की अग्रधन जमा राशि (E.M.D.) किसी भी अनुसूचित बैंक से तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट "सिपेट हाजीपुर" के पक्ष में जमा की जाएगी, जोकि "हाजीपुर" में देय होगी।
- ii. अग्रधन जमा राशि (E. M. D. ) के बिना तकनीकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii. असफल पक्षों का अग्रधन जमा राशि (E. M. D. ) पार्टियों/बोलीदाता से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर एक निर्दिष्ट अवधि (एक महीने) के भीतर वापस कर दिया जाएगा।
- iv. निविदा जमा करने के बाद निकासी की अनुमति नहीं है। सफल बोलीदाताओं जोकि कार्य आदेश की स्वीकृति में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार काम करने में विफल रहते हैं, उनका अग्रधन जमा राशि (E. M. D. ) जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में इस संस्थान द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- v. अग्रधन जमा राशि (E. M. D. ) को सिपेट : सी. एस. टी. एस. -हाजीपुर के साथ लंबित रहने के दौरान कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

## 3. प्रदर्शन सुरक्षा (PERFORMANCE SECURITY):

- i. सफल एजेंसियों/फर्मों को कार्य आदेश जारी होने के 10 दिनों की अवधि के अंदर सिपेट हाजीपुर के पक्ष में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) के लिए 50, 000. 00 (केवल पचास हजार रुपये) जमा करने होंगे।
- ii. चयनित एजेंसी/फर्म के अग्रधन जमा राशि (E. M. D. ) को प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, सफल बोलीदाता के पास अग्रधन जमा राशि (E. M. D. ) को सिक्योरिटी डिपॉजिट में बदलने की स्वतंत्रता है। उस स्थिति में बोलीलगाने वाले को सिपेट हाजीपुर के पास रुपये 30,000 (केवल तीस हजार रुपये) जमा करने की आवश्यकता होगी।
- iii. सिपेट हाजीपुर द्वारा किसी भी तिमाही में सुरक्षा जमा/निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## 4. अग्रधन जमा राशि / सुरक्षा जमा राशि / प्रदर्शन सुरक्षा राशि की जब्ती:

- i. यदि सफल बोलीदाता/एजेंसी सिपेट द्वारा जारी आशय पत्र (एल.ओ.आई)/कार्य आदेश को स्वीकार करने से मना कर देती है/विफल रहती है तो संस्थान द्वारा एजेंसी/बोलीदाता का सुरक्षा जमा राशि जब्त कर लिया जाएगा और भविष्य में सिपेट : सी. एस. टी. एस. -हाजीपुर द्वारा प्रकाशित की जाने वाली किसी भी निविदा के लिए बोलीदाता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ii. यदि बोलीदाता निविदा को अंतिम रूप देने से पहले/बाद में बोली वापस ले लेता है, तो अग्रधन जमा राशि(E. M. D. ) जब्त कर लिया जाएगा।
- iii. निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने के बाद ही निविदा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संचालक द्वारा अनुबंध के उल्लंघन होने पर निष्पादन सुरक्षा को सिपेट सी.एस.टी.एस हाजीपुर द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और करार समाप्त करने के साथ ही फर्म/एजेंसी को काली सूची में डाला जा सकता है।
- iv. चालक की लापरवाही के कारण सिपेट को हुई किसी भी हानि की वसूली जमा राशि से की जा सकती है।

## 5. गणना की मौलिक विधि:

- (i) दैनिक किराये के लिए: दैनिक निश्चित किराया शुल्क + प्रति किमी रनिंग रेट + अतिरिक्त घंटे। सबसे कम बोली लगाने वाले के लिए गणना केवल दैनिक किराये के आधार पर अनुलग्नक के अनुसार कॉलम के कुल योग में की जाएगी।
- (ii) मासिक किराये के लिए: मासिक किराया प्रभार + रनिंग रेट प्रति किमी + अतिरिक्त घंटा। सबसे कम बोली लगाने वाले के लिए गणना केवल मासिक किराये के आधार पर अनुलग्नक के अनुसार कॉलम के कुल योग में की जाएगी।
- (iii) सबसे कम बोली लगाने वाले का चयन दैनिक किराये और मासिक किराये के आधार पर अलग किया जाएगा।

## 6. बोलियों (Bid) की वैधता की अवधि:

बोली इसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध और स्वीकृति के लिए खुली रहेगी। कम अवधि के लिए वैध बोली को संस्थान द्वारा गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## 7. निविदा दस्तावेजों में संशोधनः:

बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, संस्थान किसी भी कारण से (चाहे वह संस्थान के आवश्यकतानुसार या संभावित बोलीदाता द्वारा स्पष्ट अनुरोध के जवाब में) निविदा दस्तावेज संशोधित कर सकता है। किसी भी शुद्धिपत्र और परिशिष्ट को सिपेट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में अलग से कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इसके लिए नियमित रूप से सिपेट वेबसाइट [www.cipet.gov.in](http://www.cipet.gov.in) पर जाएं।

## 8. अंतिम तिथि का विस्तार:

निदेशक एवं प्रमुख, सिपेट हाजीपुर, अपने अनुसार निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकते हैं और यह विस्तार सभी बोलीदाताओं के लिए मान्य होगा। इसके लिए नोटिस केवल [www.cipet.gov.in](http://www.cipet.gov.in) सिपेट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

9. **संख्या:** सिपेट : सी. एस. टी. एस. -हाजीपुर किराए पर लिए जाने वाले वाहनों की कुल संख्या की गारंटी नहीं देता है। आवश्यकता और परिस्थितियों के आधार पर संख्या अलग-अलग हो सकती है। सिपेट-हाजीपुर द्वारा मांगे जाने पर सेवा प्रदाता द्वारा एक या एक से अधिक संख्या में वाहन प्रदान करना होगा।
10. **निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण :** निविदा दस्तावेज के किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले संभावित बोलीदाता कार्यालय समय के दौरान संस्थान को सूचित कर सकते हैं।
11. **आदेश का निष्पादन:** चयनित फर्म को कार्य आदेश जारी होने के बाद 7 दिनों के भीतर मासिक वाहन और सिपेट-हाजीपुर की आवश्यकतानुसार दैनिक आधार वाहन तत्काल प्रदान करना होगा।
12. **विवेकाधिकार:** संस्थान सबसे कम बोली के अलावा किसी भी बोली को स्वीकार करने या यहां तक कि बिना कोई कारण बताए सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निदेशक एवं प्रमुख, सिपेट हाजीपुर का निर्णय निविदा के सभी मामलों में अंतिम निर्णय होगी।

### 13. अनुबंध के सामान्य नियम और शर्तें:

- a. अनुबंध की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा और आवश्यकता एवं सेवा संतुष्टि के आधार पर और सिपेट : सी. एस. टी. एस. हाजीपुर के आवश्यकतानुसार पर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जा सकता है।
- b. प्रदान किए गए वाहन का वाणिज्यिक पंजीकरण एवं व्यापक रूप से बीमा के साथ बिहार में पंजीकृत होना चाहिए।
- c. चालक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए होना चाहिए, चालक का व्यवहार बेहद विनम्र होना चाहिए। उसे यातायात नियमों का अच्छी तरह से पालन करने हेतु पता होना चाहिए एवं सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए। उसे फास्ट ड्राइविंग की आदत नहीं होनी चाहिए और उसके पास उचित दृष्टि होनी चाहिए। उनके साफ आचरण एवं पुलिस रिकॉर्ड होना चाहिए। चयनित एजेंसी द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- d. ड्राइवरों के किसी भी दुर्व्यवहार के लिए एजेंसियां पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।
- e. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। अनुबंध की अवधि के दौरान, दरों को संशोधित नहीं किया जाएगा। बिल की प्रतिपूर्ति मासिक आधार पर की जाएगी।
- f. आयकर अधिनियम के अनुसार किराए पर लिये गए वाहन के बिल से टी.डी.एस. काटा जाएगा।
- g. सिपेट : सी. एस. टी. एस. हाजीपुर बिना कोई कारण बताए 15 दिनों का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- h. किसी भी नुकसान, क्षति या दुर्घटना के मामले में, पूरी जिम्मेदारी एजेंसी / फर्म की होती है और सिपेट: सी.एस.टी.एस हाजीपुर के अधिकारियों के उपयोग के दौरान वाहन में अनधिकृत / अवैध सामग्री पाए जाने पर पूरी जिम्मेदारी चालक की होगी।
- i. पेट्रोल/डीजल की शुरुआती कीमत समझौते के समय जो बिहार राज्य में होगी वही कीमत मान्य होगी। बाद के किसी भी संशोधनों के लिए संस्थान होगी।
- j. पार्किंग और टोल टैक्स की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाएगी।
- k. मासिक आधार पर किराए पर लिया गया वाहन मॉडल दो साल से पहले का नहीं होना चाहिए।
- l. वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए और समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मरम्मत, रखरखाव या किसी अन्य स्थिति के मामले में वाहन का प्रतिस्थापन समान रूप से अच्छी स्थिति वाले वाहन के साथ तुरंत किया जाना चाहिए। सेवा प्रदाता उचित बीमा कवरेज के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें उसके ड्राइवर की गलती के से होने वाली क्षतिपूर्ति को कवर करने के लिए पर्याप्त हो।
- m. सेवा प्रदाता/एजेंसी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति को चालक के रूप में नहीं रखेगा। एजेंसी विभिन्न श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी, अनुबंध श्रम अधिनियम आदि के तहत निर्धारित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगी। ऐसे किसी भी वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।
- n. संस्थान को दिये जाने वाले सभी वाहन अच्छी सड़क योग्य स्थिति में होने चाहिए और प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ चालक और वाहनों के विभाग और बीमा पॉलिसी से वैध दस्तावेज / लाइसेंस होना चाहिए। निविदाकर्ता उसके द्वारा प्रदान किए गए वाहनों के कुल रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
- o. सभी वाहनों को BS-IV/BS-V/ BS-VI अनुपालन या विशिष्ट मेक और मॉडल के साथ नवीनतम मॉडल/पंजीकरण होना चाहिए।
- p. सेवा प्रदाता/ड्राइवर और सिपेट के कर्मचारी के बीच कोई संबंध नहीं होनी चाहिए।
- q. एजेंसी को 100/- रुपये (विधिवत नोटरीकृत) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म को किसी भी संगठन / संस्थान से ब्लैकलिस्ट / प्रतिबंधित / निलंबित / प्रतिबंधित / वंचित नहीं किया गया है और उनके नाम के खिलाफ पुलिस या कानून की अदालत में कोई मामला लंबित नहीं है।
- r. वाहन का रंग सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- s. वाहन एवं चालक कार्य की अवधि के दौरान संस्थान परिसर में ही रहेंगे।

- t. चालक की अनुपस्थिति के मामले में, एजेंसी को विकल्प प्रदान करना होगा। यदि एजेंसी चालक / वाहन का विकल्प प्रदान करने में विफल रहती है, तो वाहन की किराए की लागत पर प्रति दिन 4 गुणा की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
- u. यदि सेवा प्रदाता मांगे गए वाहन को प्रदान करने में विफल रहता है, तो सिपेट हाजीपुर किराए पर वाहन लेने के लिए स्वतंत्र होगा और उक्त वाहन को किराए पर लेने के कारण भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क एजेंसी के मासिक बिल से वसूल किए जाएंगे।
- v. आम तौर पर, संस्थान द्वारा छुट्टी के लिए एजेंसी को नोटिस जारी किया जाएगा और सेवाओं के लिए काम पर रखे जाने पर मासिक किराये के आधार इस अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

#### 14. मासिक किराए के वाहन के लिए अतिरिक्त नियम एवं शर्तें:

उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अलावा, मासिक किराए पर लिए गए वाहनों पर निम्नलिखित अतिरिक्त नियम एवं शर्तें लागू होंगी: -

- a. ड्राइवर के पास कम से कम 3 साल का कार्यानुभव होना चाहिए। प्रदान किए गए वाहन के चालकों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित यातायात नियमों और अन्य विनियमों का पालन करना चाहिए। वाहन की नियुक्ति से पहले पंजीकरण, वाहन का बीमा और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- b. चालक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए होगा। चालक का व्यवहार बेहद विनम्र और परिष्कृत होना चाहिए और वाहन को चलाने की गति और तरीके से अवगत होना चाहिए। उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए और यातायात नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। उसे फास्ट ड्राइविंग की आदत नहीं होनी चाहिए और उसके पास उचित दृष्टि होनी चाहिए। उनके पास पूरी तरह से साफ पृष्ठभूमि और पुलिस रिकॉर्ड होना चाहिए। चयनित एजेंसी द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- c. चालक को सुचारू संचार के लिए मोबाइल फोन प्रदान किया जाएगा और लागत एजेंसी द्वारा वाहन की जाएगी।
- d. चालक को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मासिक परिलब्धियां सरकार की लागू न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के अनुसार होंगी। हालांकि, एजेंसी इस न्यूनतम शर्त से ऊपर किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, एजेंसी को न्यूनतम वेतन और वैधानिक कटौती के संबंध में सभी सरकारी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
- e. मासिक किराए के ड्राइवर का ड्यूटी समय सामान्य रूप से हाजीपुर के लिए सुबह 08:30 बजे से शाम 08:30 बजे तक और पटना के लिए 08:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक होगा, लेकिन आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार लंबा हो सकता है। तदनुसार, ड्राइवर को एजेंसी द्वारा ओवरटाइम और अन्य भत्तों के भुगतान/ मुआवजा के लिए दिया जाना चाहिए।
- f. सप्ताह में एक दिन चालक को अनिवार्य रूप से आराम दिया जाएगा। आराम के दिन, सिपेट: सी.एस.टी.एस. हाजीपुर की आवश्यकता के अनुसार एजेंसी / सेवा प्रदाता द्वारा वैकल्पिक चालक प्रदान किया जाएगा।
- g. एजेंसी को किसी भी घटना के मामले में ड्राइवर को बदलने की व्यवस्था करनी होगी। सिपेट :सी.एस.टी.एस. हाजीपुर को किसी भी ऐसे ड्राइवर को हटाने के लिए एजेंसी से कहने का अधिकार है जो सक्षम या अनुशासित नहीं पाया जाता है।
- h. वाहन 2023 मॉडल का होना चाहिए और ड्राइवर के साथ सेवा शुरुआत के समय नई बैटरी, टायर, ट्यूब और अपहोल्स्ट्री प्रदान किया जाना चाहिए। एक बार अनुमोदन किए जाने के बाद, वाहन को सिपेट: सी.एस.टी.एस. हाजीपुर की पूर्व अनुमति के बिना बदला / प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा।
- i. एजेंसी द्वारा बनाए गए मासिक वाहन के लिए अलग लॉग बुक होगी। लॉग बुक में सभी प्रविष्टियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित / प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।
- J. सेवा प्रदाता/फर्म को वाहन मालिक पुस्तक, बीमा कागजात और अन्य कागजात की सत्यापित प्रतियां और चालक लाइसेंस की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

- k. सेवा प्रदाता/फर्म को वाहन मालिक पुस्तक, बीमा कागजात और अन्य कागजात की सत्यापित प्रतियां और चालक लाइसेंस की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
- l. एजेंसी द्वारा चुने गए ड्राइवर का मूल्यांकन संस्थान द्वारा अंतिम रूप देने से पहले किया जाएगा।
- m. वाहनों में यात्रा करने वाले संस्थान के छात्रों/कर्मचारी/अतिथि को हुई किसी भी चोरी/संधमारी/क्षति के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी। ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न मुआवजा एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।
- n. वाहनों का सभी रखरखाव/सर्विसिंग एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर किया जाना चाहिए। वाहनों की आंतरिक और बाहरी स्थितियों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए।
- o. ब्रेक डाउन के मामले में, एजेंसी वाहन की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी और एक घंटे के भीतर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करेगी। संस्थान वाहन के रखरखाव के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देगा।
- p. नियमों और शर्तों के बार-बार उल्लंघन के मामले में, एजेंसी के अनुबंध को तुरंत रद्द किया जा सकता है।
- q. एजेंसी क्षेत्राधिकार के अनुसार राज्य सरकार / केंद्र सरकार के सभी वैधानिक कानूनों, नियमों और विनियमन का पालन करेगी।
- r. इस अनुबंध के लिए विशेष रूप से कोई जनशक्ति नहीं लगाई जानी चाहिए, जब अनुबंध समाप्त हो जाता है तब किसी आधार पर संस्थान पर कोई शारीरिक या नैतिक दबाव नहीं होगा। संस्थान इस तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा।
- s. समझौते की अवधि के दौरान, वाहन और इस अनुबंध के तहत लगे कर्मियों के लिए एजेंसी द्वारा सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान होने वाला कोई भी सुरक्षा खतरा एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। संस्थान किसी भी तरह से इस अनुबंध के दौरान या उसके होने वाली ऐसी किसी भी घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- t. अनुबंध के निष्पादन के लिए संस्थान के नियम बाध्यकारी होंगे। इसके अलावा, अनुबंध के निर्वाह के दौरान या उसके बाद उपरोक्त अनुबंध से उत्पन्न या उसके संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, निदेशक एवं प्रमुख, सिपेट : सी. एस. टी. एस. हाजीपुर इसे तय करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ है या उसका निर्णय अंतिम निर्णय है।
- u. संस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों की पूर्व सूचना देते हुए वाहन को किराए पर नहीं लिया जा सकता है, जिसके लिए संस्थान द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। असंतोषजनक सेवाओं के मामले में एजेंसी के कार्य आदेश को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकता है।
- v. **फोर्स मेजर:** यदि अनुबंध के दौरान किसी भी नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, आपदा से कोई भी पक्ष प्रभावित होते हैं तो इसके बारे में दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के समय अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। अनुबंध के तहत दायित्वों को ऐसे समय समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके फिर से सेवा पुनः शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के निर्वहन को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से परे घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, तो इस दौरान सात दिन या आपसी सहमती से अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
- w. शुरुआती किलोमीटर एवं समय सिपेट हाजीपुर से शुरू होगी। मासिक निर्धारित कि० मी० का उपयोग नहीं होने पाने की स्थिति में उसे अगले माह के निर्धारित कि० मी० में जोड़कर वाहन का उपयोग किया जा सकता है।
- x. एजेंसी सिपेट हाजीपुर से संस्थान की आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध कराएगी।



## 15. लॉग बुक :

- i. लॉगबुक संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी और चालक द्वारा सभी वाहनों में ले जाया जाएगा।
- ii. वाहनों की झूठी के लिए लॉग बुक प्रत्येक यात्रा के आधार पर संस्थान परिसर से दर्ज की जाएगी और विधिवत प्रमाणित रिकॉर्ड मांग पर दिखाए जाने चाहिए और मासिक बिल के साथ भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। चालक के साथ वाहन सिपेट के कार्य के लिए 24 घंटे तक संस्थान परिसर में तैनात रहेगा।
- iii. मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन को बीमा कवरेज, सड़क कर आदि जैसे सभी वैधानिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। साथ में न्यूनतम कागजात , वाणिज्यिक रोड परमिट वाहन। अनुबंध शुरू करने से पहले संस्थान में जमा करे।
- iv. सभी सांविधिक प्रावधानों/अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस आशय के अभिलेख ठेकेदार द्वारा रखे जाने होते हैं और संबंधित प्राधिकारियों को मांगे जाने पर दिखाए जाने होते हैं और वे सीधे उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- v. लॉग बुक को संस्थान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

## 16. बिलों का भुगतानः:

- i. एजेंसी को विधिवत सत्यापित लॉग-बुक की प्रति के साथ अगले महीने के 07 वें दिन तक पिछले महीने का मासिक बिल जमा करना आवश्यक है।
- ii. अगले महीने के इन-ऑर्डर मासिक बिल की प्राप्ति पर 10 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
- iii. कोई आंशिक भुगतान / अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- iv. यदि कोई वसूली है, तो मासिक बिल से की जाएगी।

17. फर्म को निविदा के सभी नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करनी होगी।

18. सशर्त प्रस्ताव या इस निविदा के नियमों एवं शर्तों से कोई विचलन बोलियों को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बना सकता है।

19. किसी भी गलत सूचना/मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत करने से किसी भी स्तर पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

20. तकनीकी बोली में कोई मूल्य संकेत नहीं होगा। यदि किसी कारण से, यह पाया जाता है कि तकनीकी बोली किसी भी तरह से मूल्य बोली से संबंधित विवरणों का खुलासा करती है, तो पहले चरण में निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

21. वाहनों के किराये/किराए पर लेने के लिए एक से अधिक एजेंसी को सूचीबद्ध किया जा सकता है।

22. संस्थान बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या अनदेखा करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

संलग्नक -1

तकनीकी बोली - किराए पर वाहन सेवा हेतु

संदर्भ- निविदा संख्या: CIPET/HJP/TENDER/VEHICLE SERVICES/2023-24/01 दिनांक: 06.04.2023

(पूर्व- आवश्यक योग्यता)

क्र. सं.	विवरण	हाँ/ नहीं
1	फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता	
2	संचालक का पूरा नाम, पता एवं मोबाइल नंबर	
3	फर्म की पंजीकरण संख्या (प्रमाण संलग्न करें)	
4	स्थायी खाता संख्या (पैन)(प्रमाण संलग्न करें)	
5	जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (प्रमाण संलग्न करें)	
6	भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या स्थानीय निकायों / नगर पालिकाओं में से किसी भी विभाग / स्वायत्त / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वाहनों की आपूर्ति का विवरण।	
7	क्या फर्म या उसकी सहयोगी कंपनी को सिपेट द्वारा वाहनों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश प्राप्त है, यदि हां, तो उसके अनुबंध की अवधि का उल्लेख करे।	
8	एजेंसी का अन्य फर्म/व्यक्ति के साथ जुड़ाव जहां से वह एक ही/भिन्न रंग (सफेद/हल्का रंग) के वाहन की कई आवश्यकताओं के मामले में वाहन प्राप्त कर सकता है।	
9	क्या एजेंसी को भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी विभाग/संगठन द्वारा काली सूची में डाला गया है और उक्त फर्म/एजेंसी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है।	
10	क्या निविदा के नियम एवं शर्तों को विधिवत स्वीकार करते हैं	
11	अग्रधन जमा राशि (E.M.D) का विवरण	
12	निविदा शुल्क विवरण	
13	भुगतान की शर्तों के लिए सहमत हैं	

नोट: एजेंसी/फर्म को उसके नाम पर 02 वाहन/अधिक वाहन रखने वाली एजेंसी/फर्म को वरीयता दी जाएगी।

घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ पिता/श्रीमती प्रोपराइटर/निदेशक/उपर्युक्त एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पत्नी इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए सक्षम है।

मैंने निविदा में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा और समझा है और उनका पालन करने का वचन दिया है। उपरोक्त बोली/आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेज मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रमाणित हैं। मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि कोई भी झूठी सूचना/मनगढ़त दस्तावेज प्रस्तुत करने से उपयुक्त कानून के तहत अभियोजन के प्रति देनदारियों के अलावा किसी भी स्तर पर मेरी निविदा/बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

दिनांक:

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

## संलग्नक -II

### वित्तीय बोली - किराए पर वाहन सेवा हेतु (एक अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है)

सिपेट: सी.एस.टी.एस को वाणिज्यिक वाहन की आपूर्ति हेतु

संदर्भ- निविदा संख्या: CIPET/HJP/TENDER/VEHICLE SERVICES/2023-24/01 दिनांक: 06.04.2023

(क) मासिक आधार पर किराए पर लिए गए वाहन के लिए दर (2023 का मॉडल):

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित शुल्क रूपये में (2000 कि० मी० तक)	निर्धारित शुल्क रूपये में (2500 कि० मी० तक)	निर्धारित शुल्क रूपये में (24 घंटे x 7 दिन)	अतिरिक्त शुल्क रूपये में (प्रति कि० मी०)	अतिरिक्त शुल्क रूपये में (प्रति घंटा)
1.	Maruti Suzuki Dzire AC					
2.	Altroz					

(ख) दैनिक आधार पर किराए पर लिए गए वाहन के लिए दर :

क्र. सं.	वाहन के प्रकार (वातानुकूलित)	4 घंटे 40 कि० मी० हेतु	12 घंटे 80 कि० मी० हेतु	न्यूनतम 250 किमी प्रति दिन चलने के लिए बाहरी शुल्क	प्रति कि० मी० स्थानीय शुल्क	रात्री में रुकने का शुल्क
1	Innova					
2	Maruti Suzuki Dzire/Toyota Etios					
3	Ertiga					
4	Maruti Suzuki Ciaz					
5	SUV					
6	TATA Indigo/ TATA Zest					
7	Bolero					

नोट: उद्धृत मूल्य सभी करों के साथ शामिल होनी चाहिए।

हम पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा उद्धृत कीमतें एक वर्ष की प्रारंभिक अनुबंध अवधि के दौरान कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगी। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हम सभी निविदा शर्तों का पालन करते हैं और हमारे पास कोई निविदा के अलावा कोई अलग शर्त नहीं है, निविदा के किसी भी नियम एवं शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में हमारे द्वारा जमा किये राशि को जब्त किया जा सकता है।

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर

प्रोपराइटर/अधिकृत व्यक्ति का नाम  
एजेंसी/फर्म की मुहर

दिनांक:

### ***संलग्नक - III***

#### **अंडरटेकिंग**

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी फर्म/एजेंसी/कंपनी को भारत सरकार या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं के किसी भी विभाग/स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है और आज दिनांक: ..... तक उक्त फर्म/एजेंसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

दिनांक:

स्थान:

### ***संलग्नक - IV***

#### **अंडरटेकिंग**

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा दस्तावेज में उल्लिखित वाहनों की आपूर्ति के लिए मेरी फर्म/ एजेंसी / कंपनी पर्याप्त अनुभव रखती है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

दिनांक:

स्थान:

### ***संलग्नक - V***

#### **अंडरटेकिंग**

प्रमाणित किया जाता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से निविदा दस्तावेज को पढ़ा हूँ और उसमें उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

दिनांक:

स्थान: